डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229] रायपुर, सोमवार , दिनांक 8 अक्टूबर 2001—आश्विन 16, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-8-1/2001/1/6.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के [illegible] या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981.
2.	मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोकायुक्त (अन्वेषण) नियम, 19[illegible].
3.	मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोकायुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1982.
4.	मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोकायुक्त (जिला सतर्कता समिति) नियम, 1995.
5.	मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (भावी उपभोक्ताओं को प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाना) नियम, 1991.
6.	मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (कालोनियों का पंजीयन तथा विकास) नियम, 1982.
7.	मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982.
8.	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) संगठन से संबंधित नियम.
9.	मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1947.
10.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1995.
11.	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग आरक्षण) अधिनियम, 1994.
12.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण) विचारण क्षेत्र के विस्तार के संबंध में नियम, 1997.
13.	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (लोक सेवाओं और पदों में महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1996.
14.	मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972.
15.	शासन के कार्य नियम.
16.	मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (सेवा संघ) नियम, 1967.
17.	मध्यप्रदेश सचिवालय सेवा भरती नियम, 1976.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2001

क्रमांक एफ-8-1/2001/1/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-8-1/2001/1/6 दिनांक 8-10-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

Raipur, the 8th October 2001

NOTIFICATION

No. F-8-1/2001/1/6.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). The State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDERS

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2001.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before in the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	The Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Act, 1981.
2.	The Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta (Investigation) Rules, 1982.
3.	The Madhya Pradesh Lokayukta and Up-Lokayukta (Condition of Service) Rules, 1982.
4.	The Madhya Pradesh Lokayukta and Up-Lokayukta (District Vigilance Committees) Rules, 1995.
5.	Madhya Pradesh Vinirdista Bhrasta Acharan Nivaran (Certificate to be issued for Consumer in near future) Rules, 1991.
6.	Madhya Pradesh Vinirdista Bhrasta Acharan Nivaran (Registration of Colonies and Development) Rules, 1982.

(1)	(2)
7.	Madhya Pradesh Vinirdista Bhrasta Acharan Nivaran Adhiniyam, 1982.
8.	Chief Technical Examiner (Vigilance) related Corpn. Rules.
9.	The Madhya Pradesh Special Police Establishment Act, 1947.
10.	Madhya Pradesh Human Right Commission, Chairman and Members (Salary Allowances and other conditions of Service) Rules, 1995.
11.	Madhya Pradesh Lok-Seva (Scheduled Caste/Scheduled Tribe & OBC) Adhiniyam, 1994.
12.	Madhya Pradesh Civil Seva (Aur Padonnatti Mein Arakshan) Vicharan Kshetra Key Vistar Key Sambandh Mein Niyam, 1997.
13.	Madhya Pradesh Civil Seva (Aur Padonnatti Mein Mahilaon Ki Niyukti Hetu Vishesh Upbandh) Niyam, 1996.
14.	Madhya Pradesh Swatantrata Sangram Sainik Samman Nidhi Niyam, 1972.
15.	Rules of Business.
16.	Madhya Pradesh Govt. Service (Seva Sangh) Rules, 1967.
17.	Madhya Pradesh Sachivalaya Seva Bharti Niyam Rules, 1976.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
STEPHEN XALXO, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.